न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2024/6

1. भौरीलाल पुत्र कजोड जाति धोबी, निवासी ग्राम समेल तहसील निर्झना जिला दौसा।
2. श्रीमती रसाल देवी पत्नि स्व0 मांगीलाल जाति योगी निवासी ग्राम समेल तहसील निर्झना जिला दौसा।
3. मुकेश पुत्र रामसहाय जाति मीणा निवासी ग्राम समेल तहसील निर्झना जिला दौसा।
4. सावलराम पुत्र श्रवण जाति मीणा निवासी ग्राम समेल तहसील निर्झना जिला दौसा।
5. रूकमणी पत्नि स्व0 प्रभू जाति योगी निवासी ग्राम समेल तहसील निर्झना जिला दौसा।
6. गंगाधर पुत्र ओंकार जाति मीणा निवासी ग्राम समेल तहसील निर्झना जिला दौसा।
7. किशोर पुत्र ओंकार जाति मीणा निवासी ग्राम समेल तहसील निर्झना जिला दौसा।
8. अर्जुन पुत्र लाखा जाति मीणा निवासी ग्राम समेल तहसील निर्झना जिला दौसा।
9. लाला पुत्र लाखा जाति मीणा निवासी ग्राम समेल तहसील निर्झना ज़िला दौसा।
10. रंगलाल पुत्र रामचंद्र जाति मीणा निवासी ग्राम समेल तहसील निर्झना जिला दौसा।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. कैलाश पुत्र नाथू,
2. रामलड्डू पुत्र रामकिशोर,
3. रामजीलाल पुत्र रामकिशोर,
   समस्त जाति संजोगी पुजारी निवासी ग्राम समेल तहसील निर्झना जिला दौसा।
4. भोरीलाल पुत्र अमरा,
5. जगदीश पुत्र रम्भू,
6. सायर पुत्र रम्भू,
7. नीरज पुत्र रम्भू,
8. लक्ष्मण पुत्र श्रीनारायण,
9. कन्हैयालाल पुत्र श्रीनारायण,
10. हंसराज पुत्र रामू,
11. रामलाल पुत्र बदरी,
    समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम समेल तहसील निर्झना जिला दौसा।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट, जिला दौसा।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निर्झना, जिला दौसा।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा निर्णय दिनांक 13.05.2023 प्रकरण संख्या 36/2021 उनवानी कैलाश बनाम राजस्थान सरकार पर पारित किया गया है।

उपस्थित :—

1. श्री श्याम सुन्दर खण्डेलवाल, वकील अपीलान्ट्स।
2. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 11 की ओर से।
3. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 12 व 13 की ओर से।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय

दिनांक–08.05.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 13.05.2023 के खिलाफ प्रार्थना–पत्र 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 19.01.2024 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि हाल रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 लगायत 11 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया। उपखण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.05.2023 द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लालसोट को आदेश दिये गये कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 546/420 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम समेल पटवार हल्का होदायली, तहसील लालसोट में स्थित आबादी भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संम्वत 2074 से 2077 के नक्शा ट्रेस में वर्तमान खसरा नम्बर 546/420 को नवीन नक्शा ट्रेस में उत्तर दिशा में बताया गया है जो गलत है एवम् नक्शा ट्रेस में उक्त गलती को दुरूस्त कर उत्तर दिशा के स्थान पर दक्षिण दिशा में प्रार्थीगण के कब्जे अनुसार कृषि के राजस्व अभिलेख में दर्ज पूर्व तरमीम को विलोपित करते हुए पुनः तरमीम किये जाने के आदेश पारित किये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 13.05.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट भौरीलाल पुत्र कजोड व अन्य द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा दिनांक 13.05.2023 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि आबादी विस्तार हेतु सेटअपार्ट 5 बीघा भूमि को खसरा नंबर 546/420 कायम कर गैर मुमकिन आबादी किस्म दर्ज कर नक्शे में उत्तरी दिशा में तत्समय तरमीम के बाद प्रस्तावित भूमि के एक्शन प्लान के मुताबिक अपीलांट व रेस्पोडेंटस अपने परिवार सहित रह रहे है। उक्त भूमि पर अपीलांट के रहवास हेतु मकानात बने हुये है मवेशी हेतु बाडे बने हुये है छप्पर पाटोल बने हुये है यही नही पंचायत द्वारा नरेगा के तहत रोड का निर्माण हो रखा है और पानी का होद पंचायत ने इसी भूमि पर बना रखा है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वास्तविक स्थिति का जायजा न लेकर अपीलाधीन आदेश पारित करने मे भंयकर गलती की है जो निरस्तनीय है। रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 11 उक्त आबादी भूमि को छोडकर चरागाह भूमि खसरा नंबर 420 के दक्षिणी दिशा में जाकर रहने लग गये है और नक्शे में इसको तरमीम कराने की बदनीयति से खसरा नंबर 546/420 रकबा 5 बीघा गैर मुमकिन आबादी भूमि को उत्तर दिशा के स्थान पर दक्षिण दिशा में व नक्शे में तरमीम करवाने के लिये रेस्पोडेंट संख्या 1 लगा0 11 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट को पक्षकार न बनाकर बदनीयति से प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसे स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में भंयकर गलती की है। तहसीलदार लालसोट की वास्तविक स्थिति के विपरित मौका रिपोर्ट दिनांक 25.01.2022 के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में भंयकर गलती की है जो निरस्तनीय है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोडेंट संख्या 1 लगा0 11 उक्त आबादी भूमि को छोडकर चरागाह भूमि खसरा नंबर 420 के दक्षिणी दिशा में जाकर रहने लग गये है जिसके मुतालिक रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 11 के विरूद्व तहसीलदार जी द्वारा समय–समय पर धारा 91 एल. आर.एक्ट के तहत कार्यवाही की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से रेस्पोडेंट संख्या 1 लगा0 11 अतिक्रमी को आबादी का लाइसेंस दे दिया है जो विधिसम्मत न होने से निरस्तनीय है। प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कन्डोन किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 13.05.2023 में बिना सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व उनको पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिससे अपीलान्ट सीधे रूप से प्रभावित पक्षकार है तथा प्रभावित पक्षकार होने के फलस्वरूप धारा 96 सी.पी.सी. के तहत अपील पेश करने के अधिकारी है जिसकी अनुमति अपीलान्ट को प्रदान किया जाना आवश्यक है। अपील के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील प्रस्तुत किये जाने की इजाजत प्रदान की जावे। अतः अपील अपीलान्ट्स पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा दिनांक 13.05. 2023 प्रकरण संख्या 36/2021 उनवानी कैलाश बनाम राजस्थान सरकार तहत धारा 136 एल.आर.एक्ट को निरस्त फरमाने की कृपा करें।

6. रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 लगा0 11 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगा0 11 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 इस आशय का पेश किया था कि वर्तमान आराजी खसरा नं0 546/420 रकबा 5 बीघा गैर मुमकिन आबादी वाकै ग्राम समेल तहसील लालसोट जिला दौसा में रेस्पोडेन्ट्स पुख्ता मकानात बनाकर अपने परिवारजन सहित निवास करते आ रहे है। उक्त वर्णित आराजीयात भूमि के राजस्व रिकार्ड के गत खसरा नं0 420 थे जिसकी राजस्व विभाग ने नवीन नक्शा ट्रेस में खसरा नं० 546/420 वास्तविकता में पुराने खसरा नं0 420 ही है जो कि पुराने नक्शा ट्रेस में दक्षिण दिशा में स्थित है तथा रेस्पोडेन्ट्स उक्त आराजी में दक्षिण दिशा वाली कृषि भूमि पर ही पुख्ता मकानात बनाकर परिवार सहित निवास करते चले आ रहे है परन्तु राजस्व विभाग के मातहत कर्मचारीयों द्वारा भूलवश गफलत में खसरा नं0 546/420 को नवीन नक्शा ट्रेस में उत्तर दिशा में बताया गया है जो गलत है एवम् नक्शा ट्रेस में उक्त गलती को दुरूस्त कर खसरा नं0 546/420 को उत्तर दिशा में उक्त अवैध तरमीम को दुरूस्त किया जाना न्यायार्थ एवं कानूनन आवश्यक है। वादग्रस्त आराजी के गत खसरा नं0 546/420 में स्थित आबादी भूमि है जिस पर रेस्पोडेन्ट्स अपने अपने पुख्ता मकानात बनाकर परिवार सहित निवास करते चले आ रहे है। परन्तु राजस्व एजेन्सी द्वारा मौके पर काबिज अनुसार तरमीम न की जाकर मनमुताबिक राजस्व रिकार्ड में अवैध रूप से कब्जे के विपरित नक्शा ट्रेस में अवैध तरमीम की गई है अवैध तरमीम को निरस्त किया जाकर तहसीलदार लालसोट द्वारा मौके पर कब्जे अनुसार व राजस्व रिकार्ड पुराने नक्शा ट्रेस के अनुसार अंकित करते हुये पुनः तरमीम नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती करने के जो अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये है वह सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही पारित किये गये है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

7. रेस्पोंडेन्ट संख्या 12 व 13 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों के

अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.05.2023 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी पटवारी हल्का द्वारा दिसम्बर 2023 के अंतिम सप्ताह में होना एवं नकल दिनांक 02.01.2024 को प्राप्त करना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट्स अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने का अधिकारी है। अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि हाल रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 लगा0 11 द्वारा वादग्रस्त प्रकरण में हाल अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार न बनाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 प्रस्तुत किया गया है। जिससे अपीलान्ट्स अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष, साक्ष्य, सबूत व दस्तावेजात प्रस्तुत नही कर सके। इसलिये सभी प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 को निर्णित किया जाना चाहिए था। ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि अपील अपीलान्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है तथा अपीलान्ट्स हितबद्ध एवं प्रभावित व्यक्ति है, जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुए उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत् युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित किया जावे।

<u>अतः आदेश है</u> कि अपील अपीलान्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.05.2023 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुए उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत् युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

(दीप्ति कछवाहा)
अति0 संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 08.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर